



2026:AHC:25252-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) सं. - 249 सन् 2026

प्रदीप कुमार वर्मा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)

: जितेन्द्र सिंह, विवेक कुमार तिवारी, जावेद आलम

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)

: जगदीश पाठक, एस.सी., शेर बहादुर सिंह

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरूण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह याचिका, कथित तौर पर जनहित में, याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 5- ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है।
2. रिकॉर्ड के अवलोकन से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें रिपोर्ट मांगी गई है जिसे प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने पहले ही लोकायुक्त से संपर्क किया है, लंबित शिकायत से स्वतंत्र याचिका दायर करने का समर्थन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, याचिका खारिज की जाती है, जिससे याचिकाकर्ता के लिए लोकायुक्त के समक्ष कार्यवाही को आगे बढ़ाने का मौका मिल जाता है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायाधीश अरूण भंसाली)

फरवरी 5, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"